न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 04 / 2024

अपीलान्ट्स	**बनाम**	**रेस्पोडेंट्स**
सीतादेवी धर्मपत्नी सावलराम जाति राईका, निवासी लाम्बा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. सावलराम पुत्र धन्नाराम 2. पारीदेवी पुत्री सावलराम 3. सोहनलाल पुत्र सावलराम जातियान राईका निवासीगण ग्राम बाला तहसील बिलाडा 4. सरपंच,ग्राम पंचायत बाला तहसील बिलाडा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2171 ग्राम पंचायत बाला द्वारा स्वीकृत किया गया।

1. अपीलान्ट्स की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 की ओर से श्री संजय चौधरी अधिवक्ता।
3. रेस्पोडेण्ट सं. 4 सरपंच बाला।

:: **निर्णय** :: **दिनांक** 31/07/24

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की खातेदारी एवं खरीदसुदा भूमि ग्राम बाला तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 1453 / 38 रकबा 1.3753 हेक्टयर किस्म बारानी द्वितीय की स्थित है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नं. 1453 / 38 रकबा 1.3753 हैक्टयर की खरीद भोपालराम पुत्र सिरदारजी जाति राईका निवासी बाला तहसील बिलाडा से दिनांक 27.11.2006 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान से खरीद किया जो दस्तावेज दिनांक 27.11.2006 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 210 पृष्ठ सं 87 क्रम

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सं. 2006003673 पर पंजीबद्धसुदा है। ग्राम बाला में अपीलान्ट सीता पत्नी सावलराम जाति राईका एवं रेस्पोडन्ट की माता का नाम सीता पत्नी सावलराम से मिलता है। सीता पत्नी सावलराम का देहान्त अपीलान्ट के अपीलाधीन भूमि खरीद करने से पूर्व हो चुकी है। अपीलान्ट सीता देवी के खरीद नामान्तरकरण में कॉलम नं. 9 में सीता देवी पत्नी सावलराम कौम राईका साकिन लाम्बा खातेदार लिखा हुआ है। इसी प्रकार अपीलान्ट की अपीलाधीन भूमि की जमाबंदी चौसाला संवत 2065 से 2068 के खाता सं. 468 में नये इन्द्राज में नामान्तरकरण सं. 1627/20.01.07 के जरिये भोपालराम पिता सिरदार द्वारा बैचान होने से पूरा खाता सीता देवी पत्नी सावलराम कौम राईका सा. लाम्बा खातेदार दर्ज हुआ। इन्द्राज हैं। इस प्रकार अपीलाधीन भूमि सीता पत्नी सावलराम जाति राईका निवासी बाला की कभी नहीं रही एवं उसके फौत होने पर हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट के नाम विरासत का नामान्तरकरण सं. 2171 भरा गया। ग्राम पंचायत द्वारा विवादग्रस्त भूमि के बारे में किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया जांच किय गये बगैर नामान्तरकरण सं. 2171 स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट का नाम व पति का नाम एवं मृतक सीता पत्नी सावलराम के नाम समान होने से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1453/38 रकबा 1. 3753 हैक्टयर का विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के नाम से इन्द्राज किया गया जो प्रथम से गलत व आधानहीन होने से खारीज होने योग्य है। अपीलाधीन भूमि अपीलान्ट की स्वअर्जित खरीदसुदा कब्जा काश्त की भूमि है। अपीलान्ट खरीदसुदा भूमि को वल्दियत में समान होने से अन्य व्यक्ति के नाम यानि रेस्पोडेन्ट के नाम करने से अपीलान्ट को अपनी स्वअर्जित खरीदसुदा भूमि से मेहरूम कर दिया गया। ऐसा करने का राजस्व अधिकारियें एवं ग्राम पंचायत को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। राजस्व अधिकारियों को अपीलान्ट की भूमि का पूर्व जांच की जाकर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, अपीलान्ट की भूमि पर रेस्पोडेन्टस का कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
[illegible]

होता, न ही कभी अपीलाधीन भूमि को रेस्पोडेन्ट ने कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग किया। अपीलाधीन भूमि के हद तक राजस्व अधिकारियों द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण को निम्न आधारों पर पेश है कि ग्राम पंचायत बाला ने नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार करने में कानूनी एंव वाक्यायती भूल की है। ग्राम पंचायत बाला ने नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा भूमि के संबंध में किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया जांच नही की गई, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 1627 भोपालराम द्वारा बैचान करने पर स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार तमाम कार्यवाही बिना सुनवाई किये रेस्पोडेन्टस की सह पर बाले--बाले की गई, नामा. 1271 को स्वीकृत करते अपीलाधीन भूमि के मालिकाना हक के बारे में पूर्ण जाचं करनी चाहिए थी। ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं देकर बिना कोई जांच के कार्यवाही की गई है। ग्राम पंचायत ने एवं पटवारी ने नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार करने से पूर्व अपीलाधीन भूमि के वास्तविक खातेदार के बारे में विधिवत जांच ही नहीं की एवं नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया। जबकि अपीलाधीन भूमि का खातेदार अपीलान्ट जीवित व मौजूद है। इस प्रकार नामान्तरकरण जैर अपील कानून के प्रावधानों के मंशा के विपरित बिना कोई जांच किये जीवित व्यक्ति की भूमि को मृत व्यक्ति के वारिसान रेस्पोडेन्टस के पक्ष में स्वीकार किया गया है। जो निरस्त योग्य है। नामा. जैर अपील के जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बाला के उनके जायज अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया है। नामान्तरकरण जैर अपील के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण भरते समय अपीलाधीन भूमि के वास्तविक स्वामित्व की जानकारी प्राप्त किये बिना म्यूटेशन की कार्यवाही की गई। हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत ने भूमि पर कब्जा के बारे में भी बिना कोई जांच किये नामा. की करवाई नियम विरूद्ध की है एवं विधि के आज्ञापक प्रावधानों

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
[illegible]

की अवहेलना की है। अपीलान्ट अपीलाधीन भूमि का वर्तमान में उपयोग व उपभोग निर्विवाद रूप से कर रहा है। जिस पर रेस्पोडेन्ट ने अभी तक कभी भी अपीलान्ट को भूमि से बेदखल करने की चेष्टा नहीं की। परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन भूमि की ऋण प्राप्त करने हेतु नकल की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तब दिनांक 07.10.2023 को प्रथम बार जानकारी हुई। एवं रेस्पोडेन्ट की वार्ता की जिसने दिनांक 5.5.24 को ऐलानिया मना कर दिया।

अतः अपील पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावें अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 2171 को निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की भूमि खसरा नं. 1453/38 रकबा 1.3753 हेक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में पुनः रेस्पोडेन्ट का नाम हटाया जाकर अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरण सं. 1627 के अनुसार इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अपीलाण्टस ने अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार करने से पूर्व प्रार्थीगण को कोई नोटिस नहीं किया गया तथा तमाम कार्यवाही बाले–बाले की गई। इसलिये अपीलान्टस को कोई जानकारी नहीं हुई। अपीलाधीन भूमि पर ऋण प्राप्त करने के उदेश्य से राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो प्रथम बार जानकरी दिनांक 07.10.2023 को हुई कि वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट को फौत दिखाकर रेस्पोडेन्ट का नाम इन्द्राज कर दिया गया। अपीलान्ट अनपढ कृषक परिवार से है। जो राजस्व रेकर्ड संबधी किसी प्रकार की जानकारी नहीं रखती है। अपीलान्ट को राजस्व रेकर्ड की आवश्यकता नहीं होने पर हल्का पटवारी से कभी सम्पर्क नहीं किया। अपीलान्ट को ऋण की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी के पास जाने पर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
[illegible]

प्रथम बार दिनांक 07.10.2023 को होने एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 05.05.2024 को एलानिया मना करने से यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपीलान्ट की अपीलाधीन भूमि के राजस्व रेकर्ड में किया गया इन्द्राज प्रथम दृष्टया बाले–बाले की गई कार्यवाही है। यदि अपीलान्ट को समय रहते ज्ञात होता तो अपीलान्ट अपनी खरीदसुदा स्वअर्जित भूमि की रक्षा करने की कार्यवाही अविलम्ब की गई होती । अतः प्रार्थना पत्र शपथ पत्र पेश कर न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर म्याद सुमार किये जाने का आदेश फरमावें।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया, रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 4 के नोटिस बाद तामिल पेश हुए, जिन्हें शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से श्री संजय चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की ओर से राजीनामा प्रस्तत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की खातेदारी एवं खरीदसुदा भूमि ग्राम बाला तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 1453/38 रकबा 1.3753 हेक्टयर किस्म बारानी द्वितीय की स्थित है। अपीलान्ट द्वारा खसरा नं. 1453/38 रकबा 1.3753 हैक्टयर की खरीद भोपालराम पुत्र सिरदारजी जाति राईका निवासी बाला तहसील बिलाडा से दिनांक 27.11.2006 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान से खरीद किया जो दस्तावेज दिनांक 27.11.2006 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 210 पृष्ठ सं 87 क्रम सं. 2006003673 पर पंजीबद्धसुदा है। ग्राम बाला में अपीलान्ट सीता पत्नी सावलराम जाति राईका एवं रेस्पोडेन्ट की माता का नाम सीता पत्नी सावलराम से मिलता है। सीता पत्नी सावलराम का देहान्त अपीलान्ट के अपीलाधीन भूमि खरीद करने से पूर्व हो चुकी है। अपीलान्ट सीता देवी के खरीद नामान्तरकरण में कॉलम नं. 9 में सीता देवी पत्नी सावलराम कौम राईका साकिन लाम्बा खातेदार लिखा हुआ है। इसी प्रकार अपीलान्ट की

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

अपीलाधीन भूमि की जमाबंदी चौसाला संवत 2065 से 2068 के खाता सं. 468 में नये इन्द्राज में नामान्तरकरण सं. 1627/20.01.07 के जरिये भोपालराम पिता सिरदार द्वारा बैचान होने से पूरा खाता सीता देवी पत्नी सावलराम कौम राईका सा. लाम्बा खातेदार दर्ज हुआ। इन्द्राज है। इस प्रकार अपीलाधीन भूमि सीता पत्नी सावलराम जाति राईका निवासी बाला की कभी नहीं रही एवं उसके फौत होने पर हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट के नाम विरासत का नामान्तरकरण सं. 2171 भरा गया। अपीलान्ट का नाम व पति का नाम एवं मृतक सीता पत्नी सावलराम के नाम समान होने से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1453/38 रकबा 1.3753 हैक्टयर का विरासत का नामा. रेस्पोडेन्ट के नाम से इन्द्राज किया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 के आपस में गांव के मौजिज लोगों द्वारा दस्तावेज अनुसार समझाईश करने पर आपसी राजीनामा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर कर लिया है रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 के पक्ष में भरा गया नामा. सं. 2171 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में पूर्व अनुसार इन्द्राज किया जाने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 पूर्णरूप से सहमत है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 को नामा. सं. 2171 को निरस्त किया जाकर नामा. सं. 2171 के जरिये राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में किया गया इन्द्राज हटाया जावें एवं अपीलान्ट के नाम दर्ज करवाने में जरिये राजीनामा पूर्ण सहमत है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामान्तरकरण संत्र 2171 को निरस्त किया जाकर ग्राम बाला की भूमि खसरा नं. 1453/38 रकबा 1.3753 हेक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में पुनः रेस्पोडेन्ट का नाम हटाया जाकर अपीलान्ट का नाम नामा. सं. 1627 के अनुसार इन्द्राज करवाया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील म्यूटेशन सं. 2171 ग्राम बाला को जो कि रेस्पोडेण्ट 4 द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की। उक्त नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं. 4 द्वारा सीता पत्नी सावलराम के फौत होने

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
किशनगढ़

पर भरा था जिसमें अपीलाण्ट सीता देवी पत्नी सांवलराम जाति राईका निवासी लाम्बा जो दोनो नाम एक ही प्रकार के होने के कारण अपीलाण्ट की भूमि का नामान्तरकरण भी भर दिया गया, जबकि अपीलाण्ट जीवित है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर स्वीकार किया गया कि नामा. सं. 2171 गलत दर्ज हो गया है इसलिए रेस्पोंडेन्ट सं. 4 द्वारा स्वीकृत आलौच्य नामान्तरकरण सं. 2171 को निरस्त किया जाना उचित है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर रेस्पोडेण्ट संख्या 4 द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 2171 ग्राम बाला को निरस्त किया जाता है। व तहसीलदार बिलाडा को आदेश दिया जाता है कि वो ग्राम बाला तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 1453/38 रकबा 1.3753 हैक्टयर के संबंध में नामान्तरकरण सं. 1627 के अनुसार नाम दर्ज कर नामान्तरकरण स्वीकृत कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। तथा मृतक सीता देवी पत्नी सांवलराम की बकाया भूमि में उसके वारिसानों की जॉच कर पुन फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 21/01/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा